प्रमुख सचिव जल संसाधन विभाग एवं प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग का निरीक्षण

दिनांक 8.9.2016

बारना परियोजना (जिला रायसेन)

उपस्थित अधिकारी :–

(1) अधीक्षण यंत्री – श्री राकेश अग्रवाल

(2) कार्यपालन यंत्री – श्री आर.के. दीक्षित

बारना परियोजना के अधिकारियों से चल रहे कार्यों की जानकारी ली गई। अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री के व्दारा विस्तृत रूप से निर्माण कार्यों के बारे में अवगत कराया गया। प्रमुख सचिव के व्दारा सभी कार्यों को निर्धारित समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिये गये तथा रबी सिंचाई के पूर्व नहरों की साफ–सफाई दिनांक 31 अक्टूबर 2016 तक पूर्ण करने करने के निर्देश दिये गये। मुख्य नहर एवं धनासिरी उपनहर का भी अवलोकन किया गया। वर्तमान में खरीफ सिंचाई हेतु पानी दिया जा रहा है। कार्यपालन यंत्री के व्दारा अब तक 8000 हैक्टर में खरीफ (धान) सिंचाई होना, बताया गया है। कुल खरीफ सिंचाई 20 हजार हैक्टर होना संभावित है।

पिपरिया में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद से उनके कछार के अन्तर्गत चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई। डोकरीखेड़ा जलाशय के नहीं भरने के उपचार के लिये देनवा नदी से एक व्यपवर्तन योजना प्रस्तावित किया जाना कार्यपालन यंत्री पिपरिया शाखा नहर संभाग सोहागपुर, जिला होशंगाबाद के व्दारा अवगत कराया गया है। इस योजना को वरीयता पर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये ।

पेंच व्यपवर्तन योजना (जिला–छिंदवाड़ा)

उपस्थित अधिकारी :–

(1) मुख्य अभियंता– श्री जी.सुनैया

(2) अधीक्षण यंत्री – श्री पी.एन.गौर

(3) कार्यपालन यंत्री (बांध)– श्री अजय गुप्ता

(4) कार्यपालन यंत्री (नहर) – श्री राजीव फिरके

(5) कार्यपालन यंत्री (पुनर्वास) – श्री एम.के.जैन

छिंदवाड़ा में पेंच व्यपवर्तन योजना जो कि एक वृहद योजना है, में इस वर्ष प्रथम बार जल संग्रहण किया गया है। छिंदवाड़ा विश्राम भवन में डूब क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के व्दारा समस्याओं के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये । आवेदकों से चर्चा के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित है:–

(1) ग्राम भूतूरा, बामनवाड़ा एवं माचागोरा में अनुतोष की राशि को 70 प्रतिशत और भुगतान किया जाये।

(2) जिन कृषकों की पूरी भूमि डूब क्षेत्र में आयी है, उनके मकानों का भी अधिग्रहण किया जावे। क्योंकि पूरी भूमि डूब क्षेत्र में आने के कारण आजीविका के साधन समाप्त हो गये हैं।

(3) डूब क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ सड़के पूर्ण जलस्तर से 3 मीटर नीचे हैं जो डूब जाने पर आवागमन में असुविधा होगी। उन क्षेत्रों में भराई करके उनका स्तर पूर्ण जलस्तर से 1 मीटर ऊपर रखा जावे।

(4) परिसम्पत्तियों का भी भुगतान किया जावे। वर्तमान में शासन के एक आदेश से वृक्ष, बोरवेल,कुआॅ आदि का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।

(5) आदर्श पुनर्वास नगरों में बिजली, सड़क, पानी की वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक नहीं है।

(6) भू–अर्जनों में जहॉ कृषक लिये गये मुआवजे से सहमत नहीं है, उसकी अपील हेतु नये भू–अर्जन अधिनियम के अनुसार अपीलेट अथारिटी का गठन किया जावे।

(7) डूब क्षेत्र में 6 मकानों का गलत भुगतान हो गया है । भूमि स्वामी अलग है तथा भवन स्वामी अलग हैं किन्तु मुआवजा भूमि स्वामी को ही दिया गया है।

(8) इस वर्ष पानी का संग्रह 620 मीटर के स्तर से अधिक नहीं किया जावे।

(9) मुआवजे की राशि मिलने के कारण बी.पी.एल. कार्ड की पात्रता समाप्त की जा रही है जो कि उचित नहीं है। बी.पी.एल.सूची से मुआवजा पाने वाले कृषकों का नाम नहीं काटा जाये।

(10) कृषकों से जो पंजीयन राशि ली गई है वह लौटायी जाये ।

(11) जमुनिया पहाड़ से देवरधा मार्ग के संबंध में अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री ग्राम सरपंच के साथ स्थल का निरीक्षण करेंगे।

(12) अनुदान अवार्ड राशि का भुगतान अधिकतम जल स्तर (MWL) तक के मकानों का किया जावे।

(13) मुआवजे के संबंध में ग्रामों में अनेक प्रकार के बिचौलिये सक्रिय हैं, जो कृषकों को भ्रमित करते हैं, इस पर रोक लगाई जावे।

(14) आदर्श पुनर्वास बस्ती केवलारी में बोरवेल में मोटर नहीं लगी है। यह भी बताया गया है कि बोरवेल फ्लाराईड युक्त पानी आता है किन्तु ओपेन वेल में पानी ठीक है ।

(15) जो सड़कें बनायी जा रही है उसमें भराई में काली मिट्टी डाली जा रही है जो उचित नहीं है।

(16) भूला मोहगॉव का बोरवेल डूब गया है।

(17) काराघाट में सडक डूब रही है।

(18) डूब क्षेत्र में मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के अनेक ट्रॉन्सफार्मर डूब गये हैं जिससे डूब क्षेत्र के समीप के ग्रामों में भी विद्युत प्रदाय में अवरोध उत्पन्न हो गया है।

(19) ग्राम चोसरा में खेतों में जाने का रास्ता डूब गया है।

(20) पुनर्वास बस्तियों में स्ट्रीट लाईट के जो खम्भे लगाये गये हैं वे ठीक से नहीं लगाये गये हैं । हवा चलने पर खम्भे हिलते हैं।

(21) डूब क्षेत्र के कारण कुछ ग्रामों की दूरी चौरई से पहले 26 कि.मी. थी अब 45 कि.मी. के मार्ग से जाना पड़ रहा है। ग्राम ढ़ाना से देवरी तक सड़क बनायी जावे।

(22) ग्राम में कुछ उद्योग भी थे जो पानी में डूब गये किन्तु उनका मुआवजा मकान मानकर दिया गया है।

(23) ग्राम बारा बरियारी में स्कूल, ऑगनवाड़ी के लिये रास्ता बनाया जाये।

(24) ग्राम जाटलापुर में कुछ लोगों को पुनर्वास मुआवजा नहीं मिला है पानी भर गया है। 15 दिन पहले पट्टा दिया गया हैं।

(25) श्री हिरदयराम वर्मा के व्दारा बताया गया कि ग्रामों में जो पत्थर लगाये गये हैं वे 625. 75 मी. तक लगाये गये हैं जबकि मुआवजा 625 मी. का दिया गया है।

(26) कम से कम 50 कृषक ऐसे हैं जिनकी पूरी भूमि जलमग्न हो गई है। केवल मकान डूब क्षेत्र के बाहर है अतः मकान का मुआवजा दिया जाये।

(27) ग्राम जामुड़ीवण्डा के आवार्ड का मुआवजा 1 जनवरी 2014 के बाद पारित किया गया है। अतः सोलेशियम की राशि 100 प्रतिशत दी जावे।

उपरोक्त मांगों के संबंध में निरीक्षण प्रवास के समय उपस्थित मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री एवं कलेक्टर छिंदवाड़ा को समाधान हेतु निर्देश दिये गये।

जमुनिया आदर्श ग्राम का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ग्रामीणों के व्दारा लगभग वही समस्याएं बतायी गई जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आदर्श पुनर्वास ग्राम में वृक्षारोपण का कार्य व्यापक रूप से किया जावे। भूला मोहगॉव के ग्रामीणों के व्दारा मंदिर और ऑगनवाड़ी के चबूतरे की मांग की गई है। सड़कों पर रात्रि में प्रकाश की उचित व्यवस्था के लिये स्ट्रीट लाईट लगाने के भी निर्देश दिये गये। मुख्य बांध एवं स्पिलवे का निरीक्षण किया गया तथा बचे हुये कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। बांयी मुख्य नहर के अपूर्ण भागों का निरीक्षण किया गया तथा यह निर्देशित किया गया कि आर.डी. 9630 से 9810 मी. तक रॉक कटिंग का कार्य 30 सितम्बर 2016 तक पूर्ण कर लिया जावे। प्रमुख अभियंता के व्दारा यह निर्देशित किया गया कि रॉक कटिंग की मात्रा 2 लाख घनमीटर से अधिक होने से पूरी तरह नहर का जल मार्ग काटा जाना अभी संभव नहीं होगा अतः अभी केवल 3 मीटर चौड़ाई में बाक्स कटिंग की जावे एवं कैनाल बेड लेवल तक नहर का मार्ग तैयार किया जावे। यह अनुमानित है कि इससे रॉक कटिंग की मात्रा लगभग 60 हजार घनमीटर ही उल्लेखित करना होगा जिसे कम समय में किया जा सकता है। अधीक्षण यंत्री के व्दारा बताया गया कि सबसे अधिक कार्य आर.डी. 13515 से आर.डी. 15000 मीटर के बीच में बाकी है, इस भाग का भी निरीक्षण किया गया तथा निर्देशित किया गया कि बॉक्स कटिंग का कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण करायें जिससे इस वर्ष ही कृषकों को सिंचाई का लाभ मिल सके।

<u>बिलगॉव मध्यम परियोजना (जिला डिण्डौरी) का निरीक्षण दिनांक 9 सितम्बर 2016</u>

उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

(1) मुख्य अभियंता– श्री जी सुनैया

(2) अधीक्षण यंत्री–श्री पी.के.शर्मा

(3) कार्यपालन यंत्री–श्री आर.एन.बानी

दिनांक 9 सितम्बर 2016 को डिण्डौरी जिले की बिलगॉव मध्यम परियोजना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दिनांक को यह नव–निर्मित जलाशय लगभग अपने पूर्ण

जलस्तर पर था। बांध स्थल पर ग्राम ढ़ोड़ा के निवासियों के व्दारा बताया गया कि उन्हें जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। निर्देशित किया गया कि संबंधित व्यक्तियों को भूमि का मुआवजा प्रदान किया जावे। यदि मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है तथा कृषकों की भूमि डूब गई है तो फसल का नुकसान भी उन्हें दिया जावे। श्री चौधरी अनुविभागीय अधिकारी को 2 बजे ग्राम ढोड़ा में उपस्थित होकर ग्रामीणों को मुआवजा राशि से अवगत कराने के निर्देश दिये गये । नहर के निर्माण के संबंध में ठेकेदार के व्दारा यह अवगत कराया गया है कि मुख्य नहर का कार्य 25 अक्टूबर 2016 तक पूर्ण करके नहर में पानी प्रवाहित किया जायेगा। मुख्य नहर के कि.मी. 9 के ऊपर डक्ट का कार्य पूर्ण किया जाना है। इसी प्रकार गुरैया वितरक नहर के आर.डी. 3240 मी पर डिण्डौरी रोड क्रासिंग की ड्राइंग का अनुमोदन सड़क विकास निगम से कराया जाना है। श्री त्यागी अनुविभागीय अधिकारी के व्दारा यह सूचित किया गया है कि नहर की माईनर कमांक 1 से 9 तक का कार्य भी 31 अक्टूबर 2016 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। मौके पर उपस्थित ठेकेदार श्री अशोक भारद्वाज के व्दारा यह भी सहमति दी गई कि 31 अक्टूबर 2016 तक माइनर कमांक 1 से 9 तक के कार्य सभी स्ट्रक्चर्स सहित कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे। अधीक्षण यंत्री को यह निर्देशित किया गया कि ठेकेदार से ड्राइंग प्राप्त होने पर 2 दिन के अंदर वे स्वीकृति प्रदान करें । कालागडेरी माइनर 14.50 कि.मी. का कार्य भी वरीयता पर करने के निर्देश दिये गये।

बिलगॉव परियोजना से इस वर्ष 5000 हैक्टर क्षेत्र में रबी सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में 6 जल उपभोक्ता संथाओं का गठन किया गया है। अध्यक्षों से भी कार्यों की जानकारी ली गई तथा उन्हें अवगत कराया गया कि वे कार्य में सहयोग प्रदान करें। नवम्बर के प्रथम सप्ताह में इस परियोजना का पुनः निरीक्षण करने एवं प्रगति की जानकारी प्राप्त करने हेतु अवगत कराया गया।

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 349/11/19/P.f भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपिः–

1– मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद ।

2– मुख्य अभियंता, वैनगंगा कछार, जल संसाधन विभाग, सिवनी ।

3– अधीक्षण यंत्री, तवा परियोजना मंडल, होशंगाबाद ।

4– अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, छिंदवाड़ा ।

5– अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, जबलपुर ।

6– कार्यपालन यंत्री, बारना बांयी नहर संभाग, बाड़ी ।

7– कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग चौरई ।

8– कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध संभाग, चौरई– सिंगना ।

9– कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिंदवाड़ा ।

10– कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी ।

11– वेब मैनेजर, कार्या. विकास बैंक परि. भोपाल की ओर वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

(एम.जी. चौबे)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग